प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.10.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल 1010/- रुपये बरामद ।

आज दिनांक 23.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध जुआ खेल रहे अभियुक्तगण 1. सुखवीर सिह पुत्र महेश चन्द निवासी संगम विहार, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष 2. बच्चू कश्यप पुत्र नामालूम निवासी संगम विहार 3.सुरेन्द्र वर्मा पुत्र नामालूम निवासी संगम विहार 4.वीरेन्द्र पुत्र नामालूम निवासी संगम विहार के विरूद्ध जुआ अधिनियम की धारा-13जी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त सुखवीर सिह पुत्र महेश चन्द निवासी संगम विहार, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया व अन्य अभियुक्तगण मौके से भाग गये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरे साथी मिलकर सट्टा खेल रहे थे कि पुलिस को देखकर मेरे साथी भाग गये, मैं मौके पर पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सुखवीर सिह पुत्र महेश चन्द निवासी राजू बिजली वाली गली ,संगम विहार, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

52 ताश के पत्ते व माल फड़ 880/- रु0 व जामा तलाशी 130/- रु0 कुल 1010/- रुपये बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में आज **दिनांक 23 अक्टूबर 2025** को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाने तथा आमजन को निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

यह अभियान यातायात पुलिस, नगर निगम गाजियाबाद एवं स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। अभियान के दौरान **इंदिरापुरम क्षेत्र में कनावनी गाँव से सी0आई0एस0एफ0 टी-पॉइंट के मध्य** दोनों तरफ सड़कों, फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गए **स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों** को हटवाया गया। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर मौजूद दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों एवं स्थानीय नागरिकों को भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने हेतु सचेत करते हुए अवगत कराया गया कि अतिक्रमण यातायात बाधित करने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ाता है। शहर को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त एवं यातायात व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह कार्यवाही प्रत्येक **गुरुवार** को नियमित रूप से जारी रहेगी।

इस अभियान में **यातायात पुलिस**, **नगर निगम गाजियाबाद एवं स्थानीय थाना पुलिस** के अधिकारी एवं कर्मचारी गण सक्रिय रूप से उपस्थित रहे तथा शांतिपूर्ण ढंग से अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

<u>अपील:-</u>

यातायात पुलिस गाजियाबाद समस्त आमजनों से अपील करती है, कि सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का अनावरण करते हुये प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर (जिनमें एक आलाकत्ल तमंचा व एक खोखा कारतूस 315 बोर) एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद ।

दिनांक 21.10.2025 को वादी बादल कुमार पुत्र दिनेश निवासी माही वाटिका टीला शाहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के पुत्र आशू उम्र करीब 22 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई । थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना व साक्ष्य संकलन से घटना का अनावरण करते हुये 04 अभियुक्तगण 1. प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया पुत्र वीरू उर्फ वीरेन्द्र शर्मा निवासी आगरा रोड चुंगी, शिव मन्दिर के सामने, थाना शहर कोतवाली, जिला एटा, 2. विकास उर्फ चाबी पुत्र राजेश धोबी निवासी एसडीएम स्कूल के सामने वाली गली, धामा एन्कलेव राहुल गार्डन, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद, 3. हीरा अली पुत्र वाजिद अली निवासी किराये

का मकान, कुम्हार कालोनी पाईप लाईन चौक, नाईक मेडिकल के करीब, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद, 4. सचिन ठाकुर उर्फ डमरू पुत्र श्रीराम कुमार राजपूत निवासी निकट जगत का ऑफिस माही वाटिका, टीला शाहबाजपुर सेवाधाम, थाना लोनी बार्डर गा0बाद के नाम प्रकाश में आये व मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त में आज दिनांक 23.10.2025 को अभियुक्तगण1.प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया पुत्र वीरू उर्फ वीरेन्द्र शर्मा निवासी आगरा रोड़ चुंगी, शिव मंदिर के सामने, थाना कोतवाली नगर, जनपद एटा 2.हीरा अली पुत्र वाजिद अली निवासी पाईप लाईन चौक सेवाधाम किराये का मकान, नाईक मेडिकल के पास, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद 3.सचिन ठाकुर उर्फ डमरू पुत्र श्रीराम कुमार राजपूत निवासी माही वाटिका गड्ढा, जगत के ऑफिस के पास, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर (जिनमें एक आलाकत्ल तमंचा व एक खोखा कारतूस 315 बोर) एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल व एक स्कूटी बरामद। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो अभियुक्त प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया उपरोक्त ने बताया साहब मेरी ससुराल इसी खुशी वाटिका मीना किन्नर की कोठी के पास में है। मेरे ससुर का नाम स्व0 राजकुमार है। मैं एटा से 20.10.25 को अपनी पत्नी को लेने के लिये आया था, मैं यहां पर पहले रहता था, और यहाँ मेरे दोस्त लोग भी है, दिनांक 20.10.25 को दीपावली का दिन था, रात करीब 09.00 बजे करीब मैं अपने दोस्त हीरा, डमरू, चाबी के साथ खुशी वाटिका में दीपावली में पटाखे चलाने के लिये खाली प्लाट में गया था, डमरू अपनी मोटर साईकिल पर हीरा को लेकर आया था, और मैं अपने साथ चाबी को लेकर आया था, तभी वहां पर कुछ लोग बैठकर ताश पत्ते खेल रहे थे, हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग भी खेलते है। जब उन लोगों के पास गये तो उन लोगों ने ताश पत्ते खिलाने से मना कर दिया था, और वहाँ पास में खडा आशु ने कहा की यहाँ पर मौहल्ले के लोग खेलगें बाहर के नहीं खेलेगें और विरोध करने लगा था तभी हमें गुस्सा आ गया और चाबी ने कहा कि अब तो इज्जत की बात है हम तो यहीं खेलेगें, आशु ने फिर भी विरोध किया तो चाबी व सचिन उर्फ डमरू व हीरा ने कहा कि प्रशांत निकाल तमंचा आज इसका काम ही तमाम कर देते है तभी मैने और चाबी ने अपनी-अपनी अंटी से तमंचा निकाल लिया और मैने आवेश में आकर पास में खडे आशु को जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिए तमंचा से पेट में गोली मार दी थी, गोली लगते ही आशु मौके पर घायल होकर गिर गया था, फिर मैं और चाबी इसी स्कूटी से तथा हीरा व सचिन उर्फ डमरू मोटर साईकिल से भाग गये थे, साहब अभी जो तमंचा आपने मेरे कब्जे से बरामद किया है, यह वही तमंचा व खोखा कारतूस है, जिससे मैने अपने साथियों के कहने पर आशु को गोली मार दी थी, फिर हमे बाद में पता चला कि आशू की जीटीबी में मृत्यु हो गयी है। मेरे पास जो स्कूटी है, यह मेरे दोस्त अटला की है। मैं उससे मांग कर लाया था और आज उसे वापस करने के लिये आया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया पुत्र वीरू उर्फ वीरेन्द्र शर्मा निवासी आगरा रोड़ चुंगी, शिव मंदिर के सामने, थाना कोतवाली नगर, जनपद एटा उम्र करीब 24 वर्ष

2.हीरा अली पुत्र वाजिद अली निवासी पाईप लाईन चौक सेवाधाम किराये का मकान, नाईक मेडिकल के पास, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र करीब 21 वर्ष

3.सचिन ठाकुर उर्फ डमरू पुत्र श्रीराम कुमार राजपूत निवासी माही वाटिका गड्ढा, जगत के ऑफिस के पास, थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व में 01 अभियोग जान से मारने की नीयत से फायर करना व 01 अभियोग अवैध शस्त्र का पंजीकृत है व 01 अभियोग लूट का थाना चिनहट लखनऊ कमिश्नरेट पर पंजीकृत है। अभियुक्त हीरा अली पर 01 अभियोग अवैध शस्त्र का पंजीकृत किया गया।

बरामदगी विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर (आलाकत्ल) अभियुक्त प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया से बरामद।
2. 01 तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर अभियुक्त हीरा अली से बरामद जिसके सम्बन्ध में **अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया।**
3. घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर प्लस।
4. एक स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।